कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 2643 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 12/06/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0 2 व घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 को जोडने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.245 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/14661/2015)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांकः–1460/FP/UK/ROAD/14661/2015, दिनांकः–16–12–2019

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगाई गई है जिसका निराकरण निम्नप्रकार प्रेषित हैः–

आपत्तिः– भारत सरकार की EDS दिनांकः–11–10–2019 के द्वारा "Geo-referenced map एवं Survey of India toposheeet map के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तावित मार्ग के Start Point एवं end point पूर्व निर्मित मार्गों पर ही है। अतः KML file में पीली रेखा (point no. 4 of existing motor road as per digital map) से आगे का alignment सही प्रतीत नही होता है", के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

भारत सरकार की उक्त आपत्ति के अनुसार KML file में प्रस्तावित मोटर मार्ग घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग को मिलान से पूर्व ही intersect कर रहा है। जिसके कारण point no. 4 of existing motor road as per digital map में आगे के मार्ग निर्माण का alignment सही प्रतीत नही होता है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में संशोधित KML file, स्पष्ट Justification एवं प्रभागीय वनाधिकारी का स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि आख्या भारत सरकार को भेजी जा सके। यदि प्रस्तावित मोटर मार्ग के alignment में कोई परिवर्तन किया जाता है तो फील्ड सर्वे उपरान्त समस्त turnings का Geo-coordinates भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निराकरण/आख्याः–उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का आरम्भिक बिन्दु घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व अन्तिम बिन्दु घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0–03 पर है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की KML file में त्रुटि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मार्ग मिलान से पूर्व ही घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग को intersect कर रहा है। किन्तु वास्तव में ऐसा नही है, यह मार्ग

आरम्भिक व अन्तिम बिन्दु से पूर्व किसी भी स्थान पर उक्त दोनों मोटर मार्गों में से किसी को भी intersect नही कर रहा है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु KML file संशोधित कर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त आपत्ति के निराकरण/वास्तविकता के मध्यनजर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पाया कि ''प्रस्तावित मोटर मार्ग का alignment किसी भी स्थान पर आरम्भिक बिन्दु घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व अन्तिम बिन्दु घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0–03 तक में उक्त पूर्व निर्मित मोटर मार्गों को intersect नही कर रहा है। जिस स्थल पर KML file में उक्त मोटर मार्ग का घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग को intersect होना प्रदर्शित हो रहा है उस स्थान से प्रस्तावित मोटर मार्ग की दूरी पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से लगभग 14 से 15 मी0 निचली तरफ है।'' इस मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण का उद्देश्य किसी बसावट को जोडने हेतु नही अपितु घनसाली में यातायात एवं अन्य समय में वाहनों के अत्याधिक आवगमन से उत्पन्न दबाव के कारण जाम की स्थिति से बचाव के लिंए बाईपास मोटर मार्ग के रूप में है। घनसाली मुख्य चौराहे में पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की चौडाई अत्यन्त कम है तथा इस स्थल पर मार्ग का चौडीकरण किया जाना सम्भव नही है। मार्ग का संकरा होने से आये दिन वाहनों की जाम लगने से घनसाली नगर में अव्यवस्था बनी रहती है।

अतः प्रस्ताव पर लगी आपत्ति का निराकरण/आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

D/PK.EDS reply Letter